	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

ज्येष्ठ 17, गुरुवार, शाके 1934–जून 7, 2012
Jyaistha 17, Thursday, Saka 1934–June 7, 2012

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 29, 2012

एस. ओ. 44 :– वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–53) की धारा 36 ए की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नागौर जिले के जायल तहसील के ग्राम रोटू की निम्नांकित अनुसूची - I में उल्लेखित राजकीय भूमि कुल 72.86 हैक्टर एवं जिसकी सीमाएं अनुसूची - II में वर्णित है को परिस्थितिकीय एवं प्राणीजातीय, वनस्पतीय एवं भू संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए "कन्जरवेशन रिजर्व" घोषित करती है। इसे भविष्य में "रोटू कन्जरवेशन रिजर्व" के नाम रो जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तद्धीन समय–समय पर बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूची - I

कन्जरवेशन रिजर्व में सम्मिलित भूमि का विवरण

ग्राम, तहसील व जिला	भू–धारक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (बीघा में)	भूमि का वर्गीकरण
ग्राम रोटू तहसील जायल जिला नागौर	राज्य सरकार	417	8.06	पायतन
		418	9.05	पायतन
		445	11.02	पायतन
		446	405.19	पायतन
		717	22.07	पायतन
कुल			455.39	
रिजर्व में सम्मिलित कुल क्षेत्रफल (हैक्टर में)			72.86	

अनुसूची - II
सीमाओं का विवरण

उत्तरी सीमा	:–	खसरा नं. 445 की भूमि की उत्तरी सीमा।
पूर्वी सीमा	:–	**खसरा नं. 445 एवं 446 की भूमि की पूर्वी सीमा।**
दक्षिणी सीमा	:–	खसरा नं. 717 की भूमि की दक्षिणी सीमा।
पश्चिमी सीमा	:–	खसरा नं. 446, 417 एवं 445 की भूमि की पश्चिमी सीमा।

[संख्या प. 3(8)/वन/2011]

राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।